(1) (142)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1758 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 727/अपील/2011-12.

---

1. श्रीमती रानी सोनी पत्नी श्री महेश कुमार सोनी
2. अभिषेक सोनी पुत्र श्री महेश कुमार सोनी
3. श्री अंशुल सोनी पुत्र श्री महेश कुमार सोनी
   निवासीगण वार्ड नं. 7, ठाकुर मोहल्ला, रायसेन,
   जिला रायसेन, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्री मोहर सिंह पुत्र मन्नु सिंह
2. अवधेश सिंह पुत्र स्व. कमल सिंह संरक्षक मोकर सिंह
   पुत्र मन्नु सिंह
3. बाबूलाल पुत्र श्री मन्नु सिंह
   निवासीगण वार्ड नं. 4, गोपालपुर, रायसेन
   तहसील व जिला रायसेन, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री एच.एन. पाराशर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री बृजेश पचौरी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार, रायसेन के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम गोपालपुर की भूमि खाता क्रमांक 30/1/1/1, 30/1/1/2, 30/1/1/3, 30/1/1 कुल किता 4 रकबा 10.73 एकड़ उनके व बाबूलाल द्वारा 2.73 एकड़ भूमि आवेदकगण को विक्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार बंटान नहीं कराते हुए भिन्न दिशाओं में बंटान करा लिया गया। अनावेदक क्र. 1 व 2 के खसरा व खतौनी से इस तथ्य का ज्ञान होने पर उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष बंटान दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 7/अ-6-अ/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्र. 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए हल्का पटवारी से वस्तुस्थिति अनुसार फर्द बंटान प्राप्त कर स्वीकृत करते हुए बंटान संशोधन किये जाने का आदेश दिनांक 06.01.2012 पारित किया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2012 से प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 30.01.2018 से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विचारण न्यायालय तहसीलदार, रायसेन के अधिकार क्षेत्र रहित आदेश की पुष्टि करने में कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि तहसीलदार के द्वारा संहिता की धारा 115 तथा 116 के अंतर्गत करीब 28 वर्ष पूर्व हुई बटान को दुरूस्त अथवा संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था। उन्हें स्वयं के आदेश अथवा कार्यवाही में बिना पुनर्विलोकन की प्रक्रिया अपनाये बदला नहीं जा सकता।

2. आवेदकगण द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 30/1/2 रकबा 2.73 एकड़ स्थित ग्राम गोपालपुर, रायसेन संयुक्त खाते की भूमि नहीं रही है, इस कारण इसमें अनावेदक क्र. 1 व 2 की हिस्सेदारी का प्रश्न नहीं उठता है। विधि के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार ना किया जाना उचित नहीं है।

3. आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.08.2017 को लिखित तर्क प्रस्तुत किये थे, जिसके साथ सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.01.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा न्याय उद्धरण प्रस्तुत किये थे, परंतु इस पर विचार नहीं हुआ है। इन्हीं लिखित तर्कों को सुनवाई के समय भी अर्ज किया गया था, परंतु उन पर कोई विचार नहीं हो सका, इस कारण प्रकरण में सही न्याय नहीं हुआ है।

4. आवेदकगण की भूमि खसरा क्र. 30/1/2 की चर्तुसीमाओं में सिविल न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच उपरांत वाद प्रश्न क्रमांक 1 विरचित करते हुए निर्णय दिनांक 25.01.2017 में मान्य की गई है, जो राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने तथा आवेदकगण की भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 स्थित ग्राम गोपालपुर तहसील रायसेन की बंटान तथा चर्तुसीमा पूर्ववत मान्य करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। संहिता के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त न कर ली जावे, बिना अनुमति प्राप्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है, ऐसा संहिता में प्रावधान है। तर्कों के समर्थन में राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 1986 नोट नं. 305, 1979 आर.एन. नोट नं. 58, 1986 आर.एन. 294 एवं 2005 आर.एन. नोट नं. 25 प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण द्वारा बिना अनुमति प्राप्त प्रस्तुत अपील निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक पक्ष ने तहसील न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में यह स्वीकार किया था कि आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रेता बाबूलाल ने पूर्व में बटान करा लिया था । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकों का संहिता की धारा 115, 116 का आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं था । अनावेदकों कों पूर्व बटान को अपील में चुनौती देनी थी । आवेदकों ने बाबूलाल से भूमि दिनांक 30-9-11 को क्रय कर ली थी । ऐसी स्थिति में तहसील का दिनांक 6-1-12 का आदेश भी उनके पीठ पीछे किए जाने से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में गुण-दोषों पर कोई परीक्षण नहीं किया है, जबकि अपर आयुक्त ने यह माना है कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त होकर पैतृक थी, जिसमें पूर्व बटान में अनावेदकों की सहमति नहीं थी, जबकि अभिलेख और अनावेदकों के आवेदनों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि बाबूलाल ने वर्ष 1981 में क्रय की थी, अतः यह भूमि पैतृक नहीं मानी जा सकती । खसरे में इसका खाता भी पृथक होकर बाबूलाल के नाम आया था । वर्ष 1991 में बाबूलाल ने सीमांकन भी कराया था, तब भी कोई आपत्ति नहीं ली गई । व्यवहार न्यायालय ने भी प्रकरण क्रमांक 12/ए/2016 में अपने आदेश दिनांक 25-1-17 द्वारा आवेदकों के पक्ष को ही सही माना है । व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के आदेश विधि अनुकूल नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2018, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-2012 एवं नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-1-2016 निरस्त किए जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(1)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण कमांक ..../2018 निगरानी

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/1758

1. श्रीमती रानी सोनी पत्नि श्री महेश कुमार सोनी
2. अभिषेक सोनी पुत्र श्री महेश कुमार सोनी
3. श्री अंशुल सोनी पुत्र श्री महेश कुमार सोनी

निवासीगण - वार्ड नं.7, ठाकुर मोहल्ला, रायसेन,
जिला रायेसेन म0प्र0 --- **निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण**

विरुद्ध

1. श्री मोहर सिंह पुत्र मन्नु सिंह
2. अवधेस सिंह पुत्र स्व. कमल सिंह संरक्षक मोकर सिंह पुत्र मन्नुसिंह
3. बाबूलाल पुत्र श्री मन्नूसिंह

निवासीगण- बार्ड नं.4, गोपालपुर, रायसेन तहसील व जिला
रायसेन, म0प्र0 ---- **गैरनिगरानीकर्ता/प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध
आदेश दिनांक 30.01.2018 न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल
संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 727/अपील/2011-12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1758

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.06.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में लिपिकीय त्रुटिवश पेज नं. 1 पर मोहर सिंह के स्थान पर मोकर सिंह तथा पेज नं. 4 पर पैरा-7 में तहसीलदार, रायसेन के आदेश दिनांक 06.01.2012 के स्थान पर 06.01.2016 टाईप हो गया है। अतः उपरोक्त त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि होने से सुधार करते हुए मोकर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह तथा तहसीलदार, रायसेन के आदेश दिनांक 06.01.2016 के स्थान पर 06.01.2012 पढ़ा जाये। यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी। अध्यक्ष	